



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार-249404
Website: Psc.uk.gov.in



(01334) 244143
(01334) 244282
07060002410

विज्ञापन संख्या :: A-5/DR/SSA/S-3/2023-24

ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला (समूह-‘ख’) परीक्षा-2024

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	05 मार्च, 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	26 मार्च, 2024 (रात्रि 11:59 :59 बजे)
ऑनलाइन माध्यम (Net Banking/Debit Card/ Credit Card) से आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	26 मार्च, 2024 (रात्रि 11:59 :59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 के द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
2. अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 26 मार्च, 2024 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में (Result Declaration Date) के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो।
4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।

5.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।
6.	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
7.	<p>ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या-11 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जायेगा।</p> <p>अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/ परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा भविष्य में विचार नहीं किया जायेगा।</p>
8.	प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार परीक्षा की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। उक्त परीक्षा का आयोजन हरिद्वार, देहरादून एवं हल्द्वानी नगर (अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार नगर) के परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आनलाइन प्रवेश-पत्र (Admit Card) आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in से रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर डाउनलोड करना होगा।
9.	अभ्यर्थियों के सूचनार्थ लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in तथा राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रदत्त ई-मेल आईडी0 पर E-mail अथवा मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से संसूचित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाइल नम्बर व ई-मेल आईडी0 ही आवेदन पत्र में भरें।
10.	<p>आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित नहीं किया जाना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।</p> <p>आयोग द्वारा लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के परीक्षा परिणाम के उपरांत अभिलेख सत्यापन हेतु मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी</p>

	<p>अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पदों हेतु भरे गये वरीयता प्रपत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।</p> <p>उक्त अभिलेखों को आयोग कार्यालय में प्रेषित करने से पूर्व उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, का अवश्य अवलोकन कर लें।</p>
11.	<p>साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा- शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग कार्यालय में सत्यापन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 के भाग-नौ में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण-पत्रों में सन्निरीक्षा के दौरान भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा।</p>
12.	<p>प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-03 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को उनकी दावित आरक्षण श्रेणी/उप-श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के आधार पर प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा।</p>
13.	<p>ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने एवं नियत समय तक Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने पर ही "Online Application" प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।</p>
14.	<p>अभ्यर्थी लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की परीक्षा योजना हेतु परिशिष्ट-01, लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-02, लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार परीक्षा के न्यूनतम अर्हक अंक हेतु परिशिष्ट-03, लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के लिए परीक्षा केन्द्र/नगर चयन हेतु परिशिष्ट-04, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट-05, 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट-06, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट-07 तथा अभिलेख सत्यापन चेकलिस्ट हेतु परिशिष्ट-08 का अवलोकन करें।</p>
15.	<p>अभ्यर्थी ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के 08 अनुभागों के सापेक्ष धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार एक या एक से अधिक अनुभागों के पदों पर आवेदन करने पर, ऑनलाइन आवेदन पत्र में चयनित अनुभागों के सापेक्ष लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) पृथक-पृथक आयोजित की जायेगी।</p>

विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अन्तर्गत विभिन्न अनुभागों में **ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के कुल 14 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती** द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षिक अर्हतानुसार रिक्त पदों के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को उक्त पदों हेतु विज्ञापन में निहित प्राविधानों के अनुसार आवेदन करना होगा। **उक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन विज्ञापन में उल्लिखित परीक्षा योजना के अनुसार किया जायेगा।**

01. रिक्तियों का विवरण:— रिक्तियों की कुल संख्या 14 है। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटायी-बढ़ायी जा सकती है। रिक्तियों एवं अर्हताओं का विवरण निम्नवत् है:—

1.	पदनाम	ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (Senior Scientific Assistant)
2.	कुल पदों की	14
3.	वेतनमान	रु0 44900—142400 (लेवल-07)
4.	पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना	समूह-ख/अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।
5.	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	<p>1) ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (प्राक्षेपिकी अनुभाग) :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) में एम0एस0सी0 तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान उत्तीर्ण।</p> <p>Senior Scientific Assistant (Ballistics Section)- Passed M.Sc in Physics or M.Sc in Forensic Science with Physics or Chemistry as one of the Subject at Graduation level from a recognized University.</p> <p>2) ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी तथा वॉइस आइडेंटिफिकेशन अनुभाग) :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) में एम0एस0सी0 तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भौतिकी उत्तीर्ण।</p> <p>Senior Scientific Assistant (Physics and Voice Identification Section)- Passed M.Sc in Physics or M.Sc in Forensic Science with Physics as one of the Subject at Graduation level from a recognized University.</p> <p>3) ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (रसायन, विस्फोटक व विष अनुभाग) :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान/एनालिटिकल केमिस्ट्री/विष विज्ञान में एम0एस0सी0 या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) में एम0एस0सी0 के साथ केमिस्ट्री में स्पेशियलाइजेशन और स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान उत्तीर्ण।</p> <p>Senior Scientific Assistant (Chemistry, Explosive and Toxicology Section) - Passed M.Sc in Chemistry/Analytical Chemistry/Toxicology or M.Sc in Forensic Science with Specialization in Chemistry and Chemistry as one of the Subject at Graduation level from a recognized University.</p> <p>4) ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (नारकोटिक्स एवं साइकोट्रॉपिक्स अनुभाग) :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान/एनालिटिकल केमिस्ट्री/विष विज्ञान में एम0एस0सी0 या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) में एम0एस0सी0 के</p>

साथ केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन और स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान उत्तीर्ण।

Senior Scientific Assistant (Narcotics and Psychotropic Section)- Passed M.Sc in Chemistry/Analytical Chemistry/ Toxicology or M.Sc in Forensic Science with Specialization in Chemistry and Chemistry as one of the Subject at Graduation level from a recognized University.

- 5) **ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (जीव विज्ञान अनुभाग एवं डी0एन0ए0 अनुभाग) :-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/ह्यूमेन बायोलॉजी/फिजीकल एन्थ्रोपोलॉजी/ह्यूमेन जेनेटिक्स/जीव रसायन विज्ञान/माइक्रो बायोलॉजी/मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एम0एस0सी0 या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) में एम0एस0सी0 के साथ जीवविज्ञान/सीरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन।

Senior Scientific Assistant (Biology and DNA Section) - Passed M.Sc in Zoology/Botany/Human Biology/Physical Anthropology/ Human Genetics/Biochemistry/ Micro Biology/Molecular Biology or M.Sc in Forensic Science with Specialization in Biology/Serology from a recognized University.

- 6) **ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (सीरम विज्ञान एवं डी0एन0ए0 अनुभाग) :-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/ह्यूमेन बायोलॉजी/फिजीकल एन्थ्रोपोलॉजी/ह्यूमेनजेनेटिक्स/जीव-रसायन विज्ञान/माइक्रो बायोलॉजी/मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एम0एस0सी0 या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) में एम0एस0सी0 के साथ जीवविज्ञान/सीरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन।

Senior Scientific Assistant (Serology and DNA Section)- Passed M.Sc in Zoology/Botany/Human Biology/Physical Anthropology/ Human Genetics/Biochemistry/ Micro Biology/Molecular Biology or M.Sc in Forensic Science with Specialization in Biology/Serology from a recognized University.

- 7) **ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (प्रलेख परीक्षण अनुभाग) :-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान में एम0एस0सी0 या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) में एम0एस0सी0 के साथ फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्स में स्पेशलाइजेशन तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान उत्तीर्ण।

Senior Scientific Assistant (Document Section)- Passed M.Sc in Physics/Chemistry or M.Sc in Forensic Science with Specialization in Forensic Documents and passed Physics or Chemistry as one of the Subject at Graduation level from a recognized University.

- 8) **ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (कम्प्यूटर फॉरेंसिक्स अनुभाग) :-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में एम0एस0सी0 अथवा एम0सी0ए0 उत्तीर्ण।

Senior Scientific Assistant (Computer Forensics Section)- Passed M.Sc in Computer Science or MCA from a recognized University.

6.	अधिमानी अर्हता	अन्य बातें समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसमें:- 1. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या 2. नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,
7.	आयु सीमा	न्यूनतम आयु सीमा-21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा-42 वर्ष।

02. ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रिक्त 14 पदों के सापेक्ष श्रेणी/उप श्रेणीवार उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्नवत् है :-

1. श्रेणीवार उर्ध्व आरक्षण-

क्र० सं०	पद का नाम	कुल	सामान्य	उ० अनुसूचित जाति	उ० अनुसूचित जनजाति	उ० अन्य पिछडा वर्ग	उ० आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
1.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (प्राक्षेपिकी अनुभाग) (Ballistic Section)	02	01	01	-	-	-
2.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी तथा वॉइस आइडेन्टिफिकेशन अनुभाग) (Physics and Voice Identification Section)	02	02	-	-	-	-
3.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (रसायन, विस्फोटक व विष अनुभाग) (Chemistry, Explosive and Toxicology Section)	02	01	01	-	-	-
4.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (नारकोटिक्स एवं साइकोट्रॉपिक्स अनुभाग) (Narcotics and Psychotropic Section)	02	01	-	-	-	01
5.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (जीव विज्ञान अनुभाग एवं डी०एन०ए० अनुभाग) (Biology and DNA Section)	02	02	-	-	-	-
6.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (सीरम विज्ञान एवं डी०एन०ए० अनुभाग) (Serology and DNA Section)	01	01	-	-	-	-
7.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (प्रलेख परीक्षण अनुभाग) (Document Section)	01	01	-	-	-	-
8.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (कम्प्यूटर फॉरेंसिक अनुभाग) (Computer Forensics Section)	02	01	-	-	01	-
कुल योग		14	10	02	00	01	01

2. श्रेणीवार क्षैतिज आरक्षण-

01. ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के 08 अनुभागों (प्राक्षेपिकी अनुभाग एवं रसायन, विस्फोटक व विष अनुभाग, जीव विज्ञान अनुभाग एवं डी0एन0ए0 अनुभाग, कम्प्यूटर फॉरेंसिक अनुभाग, प्रलेख परीक्षण अनुभाग, नारकोटिक्स एवं साइकोट्रॉपिक्स अनुभाग, भौतिकी तथा वॉइस आइडेन्टिफिकेशन अनुभाग, सीरम विज्ञान एवं डी0एन0ए0 अनुभाग) हेतु **03 पद अनारक्षित श्रेणी** के अन्तर्गत उत्तराखण्ड महिला हेतु आरक्षित है।
02. ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक प्राक्षेपिकी अनुभाग एवं रसायन, विस्फोटक व विष अनुभाग में **01 पद** अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड महिला हेतु आरक्षित है।
03. ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के उक्त पदों में दिव्यांगजन उपश्रेणी के अंतर्गत **01 पद पी0डी0/एच0एच0** हेतु आरक्षित किया गया है। यद्यपि उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक 05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी HH/PD एवं OL हेतु चिन्हांकित हैं। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तदक्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
04. ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के उक्त पदों में **भू0सै0, स्व0सं0से0** एवं **अनाथ श्रेणी** के अन्तर्गत कोई भी पद आरक्षित नहीं है।

नोट- यद्यपि प्रश्नगत विज्ञापन में ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के विभिन्न अनुभागों में कुछ पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित आरक्षण की श्रेणियों हेतु विज्ञापित नहीं किये गये हैं किन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं।

उक्त श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों को शासन द्वारा प्रवृत्त शासनादेशों के क्रम में शुल्क एवं अधिकतम आयुसीमा में छूट हेतु निर्धारित प्रारूप पर आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणियों का प्रमाणपत्र अभिलेख सत्यापन के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

03. आयु गणना की निश्चयक तिथि:- ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक पदों हेतु आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2024 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2003 के पश्चात् व 02 जुलाई 1982 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

04. अधिकतम आयु सीमा में छूट:- विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी।

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश सं0 1399 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह "क" तथा "ख" के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

उत्तराखण्ड शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश सं0 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह-'ख' के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश सं0 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

शासनादेश संख्या: 17/2/1981-कार्मिक-2, दिनांक 28 फरवरी, 1985 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को जिन्होंने सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, पूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को जिन्होंने सेना में कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट सेवाकाल को आधार मानकर, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो छः माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले हों परन्तु निम्नलिखित अनुमन्य नहीं होगी:-

- (1) जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों,
- (2) जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जानें वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवामुक्त हुए हों।

शासनादेश सं0 406 दिनांक 18 जनवरी, 2021 के अनुसार शासनादेश सं0 124, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "the ex-servicemen candidates who have already secured employment under the state Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the state Govt. However such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in state Govt.jobs."

नोट— ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से ही किसी राज्य सरकार या संघ सरकार की किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सेवारत हो, ऐसी प्रयोगशालाओं में की गई सेवा अवधि के लिए जो अधिकतम पांच वर्ष तक होगी, उच्चतर आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।

05. आरक्षण:-

उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग एवं उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय राज्य सरकार द्वारा प्रवृत्त अद्यतन शासनादेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उप श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति सहित अन्य स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ अभिलेख सत्यापन के समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख "परिशिष्ट-7" में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

i. शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य हेतु जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये।

ii. अधिसूचना संख्या-64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07.03.2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु के लिए आरक्षण) अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्याधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाये, उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय की गणना के आधार पर निर्गत एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य होना चाहिए, अर्थात् 01 अप्रैल, 2023 से पूर्व निर्गत ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

iii. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 09/XXXVI(3)/2023/72(1)/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम-2022 के प्रस्तर-3 (1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ नगर मजिस्ट्रेट/ एस.डी.एम./ तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

06. राष्ट्रीयता:- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों में प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उक्त समूह (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी:- जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न हि नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से

नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

07. चरित्रः— सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

08. वैवाहिक प्रास्थितिः— पुरुष, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो अथवा ऐसी महिला जिसका एक से अधिक जीवित पति हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होंगे।

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

09. शारीरिक स्वस्थताः— (1) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षता पूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व, उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परीक्षा में सफल हो गया है।

(2) सेवा में अन्य के पदों के मानकों में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—दो, भाग—तीन के अध्याय—तीन में दिये गये मूल नियम—10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करेगा;

परन्तु यह और कि, पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

10. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया (Procedure to apply online):—

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in पर जायें।
2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात् ukpsc.net.in पर जाकर **Menubar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात् **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।
- 3- **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर **वॉछित**, अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।
5. **Login** करने के पश्चात **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात् अभ्यर्थी **High School** का विवरण भर कर **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **re upload** करने के लिए **I want to upload photo and signature Checkbox** पर क्लिक कर पुन **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं।
6. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात “**I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself**” **declaration** पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फार्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म पर पुनः वापस जाकर सही किया जा सकता है। वॉछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Proceed Button** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु **Pay Now Button** पर क्लिक कर, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।
7. **Final Submission** के उपरान्त आवेदन-पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (**Cancel**) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। रद्द किये गये आवेदन पत्र के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल पर ओ0टी0पी0 (**OTP**) प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन (**Cancel Application**) के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट: (1) उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के बाद **Final Submit** बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(2) **Final Submission** से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म में वापस (**Back**) जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या (**Technical Issue**) के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpscheline@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं। **Final Submission** के

पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् मोबाइल नम्बर Edit नहीं किया जा सकता है।

11. संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया (Edit /Correction Process after final submission):-

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा-निर्देश:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 दिवस के उपरांत (Edit/Correction) का लिंक खोला जाएगा।
- (ii) (Edit/Correction) हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
- (iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई-मेल आईडी एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर पायेंगे।
- (iv) लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी को छोड़कर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
- (v) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।
- (vi) Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।
- (vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है, जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

12. शुल्क:- प्रश्नगत पद पर आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम यथा- Net Banking/Debit Card/Credit Card/ UPI से निम्नानुसार आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य है :-

क्र.सं.	श्रेणी	आवेदन-शुल्क	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित	कुल शुल्क
01.	अनारक्षित	रु0 150/-	रु0 22.30/-	रु0 172.30/-
02.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	60/-	रु0 22.30/-	रु0 82.30/-
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग/ उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु0 150/-	रु0 22.30/-	रु0 172.30/-
04.	राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
05.	उत्तराखण्ड दिव्यांगजन (चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग)	कोई शुल्क नहीं	रु0 22.30/-	रु0 22.30/-

नोट :- 1- उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, पूर्व सैनिक अभ्यर्थी एवं उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा-अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

2- दिव्यांग अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट शासनादेश सं0-232, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के बिन्दु सं0-17 के अनुसार दी जायेगी। उक्तांकित शासनादेश के बिन्दु सं0-17 के अनुसार "राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु विहित आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। यह छूट उन्हीं दिव्यांगजनों को उपलब्ध होगी, जो अन्यथा आवेदित पद पर चयन हेतु उपयुक्तता के मानदण्ड के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे।"

13. अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण दिशानिर्देश :-

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन-2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 यथा संशोधित आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर उपलब्ध है।

(03) आयोग कार्यालय द्वारा अभ्यर्थियों के अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका- 2022 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं:-

(i) यदि अभ्यर्थी द्वारा जन्म तिथि हेतु हाईस्कूल (मैट्रीकुलेशन/समकक्ष) का अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र तथा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(ii) अभ्यर्थियों द्वारा दावित अधिमानी अर्हता के संबंध में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की दशा में ही अधिमानी अर्हता का लाभ अनुमन्य किया जायेगा। सम्बन्धित अभिलेखों के आधार पर उसकी अर्हता के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में आरक्षण (लम्बवत् एवं क्षैतिज) का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा आरक्षण (लम्बवत्

एवं क्षैतिज) सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् का जारी होने के कारण स्वीकार्य किये जाने योग्य न हो तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(iv) यदि अभ्यर्थी द्वारा दावित आरक्षण श्रेणी अथवा अधिकतम आयुसीमा में छूट अथवा विज्ञापन में दावित किसी अन्य तथ्य की पुष्टि हेतु अभ्यर्थी से अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अधिवास प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(v) अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर या अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने विभाग में प्रस्तुत कर दिया हो उसकी पावती की प्रति अभिलेखों के साथ प्रेषित की गई हो तो, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में **औपबंधिक अर्ह** अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा तथा प्रश्नगत परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम घोषित होने तक विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों का **औपबंधिक** चयन परिणाम घोषित किया जायेगा।

(vi) अभ्यर्थी ध्यान रखें कि साक्षात्कार परीक्षा के पूर्व/तत्समय आवेदन-पत्र/ प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका- 2022 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(04) ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पदों हेतु विषयवार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) (Objective Type with Multiple Choice) पृथक-पृथक आयोजित की जायेगी। प्रत्येक विषय हेतु 100 प्रश्न तथा अधिकतम 200 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा योजना परिशिष्ट-01 में उल्लिखित है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(05) अभिलेख सत्यापन से पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा चयनित अनुभागों के सापेक्ष वरीयता प्रपत्र (Preference Sheet) भरने हेतु पृथक से विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर प्रसारित की जायेगी।

(06) लिखित लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा -शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 के

भाग-आठ के नियम-10 एवं 11 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया जायेगा।

- (07) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
- (08) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड-** वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्डस्वरूप (ऋणात्मक मूल्यांकन) किया जायेगा।
- (क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।
- (ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।
- (ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।
- (09) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्र से सम्बन्धित उत्तर कुंजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क ₹ 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो जैसे अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।
- (10) लिखित लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।
- (11) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी (डिजिटल एवं एनालॉग आदि) अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी

जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

- (12) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित**— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में माना जायेगा। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (13) **परीक्षा केन्द्र में आचरण**— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।
- (14) **अँगूठे का निशान (Thumb Impression)**— सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु उन्हें उपलब्ध कराये गये उत्तर पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।
- (15) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।
- (16) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।
- (17) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम (औपबन्धिक) होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

- (18) हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- (19) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** यथा संशोधित-2016 एवं उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
- (20) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।
- (21) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा:-

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने

वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ङ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

- (22) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
- (23) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।
- (24) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/विभाग का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।
- (25) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) एवं साक्षात्कार से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।
- (26) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड के विभिन्न नगरों के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर ही आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगरों में भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा और न ही उस पर विचार किया जायेगा।

- (27) अभ्यर्थी लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित फोटो पहचान पत्र (आई0डी0) अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (28) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
- (29) चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।
- (30) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।
- (31) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई-मेल **ukpschelpine@gmail.com** पर संपर्क कर सकते हैं।

-Sd-
(अवधेश कुमार सिंह)
प्र० सचिव।

परिशिष्ट-01

ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला (समूह-‘ख’) परीक्षा-2024 परीक्षा योजना

क्र.सं	विषयवार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) Subjectwise Written Examination (Objective Type)	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय अवधि
01	1 प्राक्षेपिकी अनुभाग (Ballistic Section)	100	200	02 घण्टा
	2 भौतिकी तथा वॉइस आइडेंटिफिकेशन अनुभाग (Physics and Voice Identification Section)	100	200	02 घण्टा
	3 रसायन, विस्फोटक व विष अनुभाग (Chemistry, Explosive and Toxicology Section)	100	200	02 घण्टा
	4 नारकोटिक्स एवं साइकोट्रॉपिक्स अनुभाग (Narcotics and Psychotropic Section)	100	200	02 घण्टा
	5 जीव विज्ञान अनुभाग एवं डी0एन0ए0 अनुभाग (Biology and DNA Section)	100	200	02 घण्टा
	6 सीरम विज्ञान एवं डी0एन0ए0 अनुभाग (Serology and DNA Section)	100	200	02 घण्टा
	7 प्रलेख परीक्षण अनुभाग (Document Section)	100	200	02 घण्टा
	8 कम्प्यूटर फॉरेंसिक अनुभाग (Computer Forensics Section)	100	200	02 घण्टा
02	साक्षात्कार (Interview)		25	
	कुल अंक (Total Marks)		225	

नोट:-1. अभ्यर्थी ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के 08 अनुभागों के सापेक्ष धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार एक या एक से अधिक अनुभागों के पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में चयनित अनुभागों के सापेक्ष लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) पृथक-पृथक अयोजित की जायेगी।

2. उक्त परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक चौथाई (1/4) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

परिशिष्ट-02

Syllabus for Senior Scientific Assistant (SSA) in Home Department (Written Examination-Objective Type)

Number of Total Question: 100

M.M: 200

Time Duration: 02 hours

Ballistics Division

Mechanics:

Motion in a plane, cases of uniform velocity and uniform acceleration, Projectile motion, Equations of motion of projectiles, principle problem of exterior ballistics, vacuum trajectory-calculation of various elements, effect of air resistance on trajectory, uniform circular motion, law of conservation of linear momentum and its applications, Dynamics of uniform circular motion, centripetal force and its examples.

E.M.Waves:

Displacement current, E.M. waves and their characteristics, Transverse nature of E.M. wave, Electromagnetic spectrum, Maxwell's equations in free space and linear isotropic media, boundary conditions on the fields at interfaces, scalar and vector potentials, E.M. waves in free space, Poynting vector.

Optics:

Reflection of light, spherical mirrors, mirror formula, refraction of light, Total internal reflection and its applications, Optical fibers, Refraction at spherical surfaces, lenses, Magnification power of a lens, combination of thin lenses in contact.

Optical instruments: Human eye, image formation and accommodation, Microscopes and astronomical telescopes and their magnifying powers. Resolving power of microscopes and telescopes, Polarization, plane polarized light and its uses, circularly polarized light, Elliptically polarized light, Polaroids.

Wave & Acoustics:

Wave motion, Longitudinal and transverse waves, speed of wave motion, displacement relation for a progressive wave, principle of superposition of waves, Reflection of waves, Beats, Doppler effect.

Acoustics: Generation of ultrasonic waves and applications, Piezo electric effect and quartz crystal, energy density of acoustic waves, acoustic intensity, Reflection and transmission of acoustic waves, Acoustics of buildings, reverberation time, Sabine's formula.

Atomic & Molecular Physics:

Stern-Gerlach experiments, electron spin, fine structure of hydrogen atom, L-S coupling, j-j coupling, Spectroscopic notations and atomic states, Zeeman effect, Rotational, vibrational and electronic spectra of molecules, Raman effect and molecular structure, Laser Raman spectroscopy, Fluorescence and Phosphorescence, Theory and application of NMR and EPR.

UV and Visible spectrophotometry: types of sources, stability, wavelength selection, filter cells, sampling devices, Lambert and Beers Law, Calibration of instrument, Atomic absorption spectrophotometry.

Lasers: Spontaneous and stimulated emission. Einstein's Coefficients, optical pumping, population inversion; Solid state laser and Gas lasers.

Nuclear Physics:

Basic nuclear properties, semi empirical mass formula and applications, Mass parabolas: Ground state of a deuteron, magnetic moment and non central forces, Meson theory of nuclear forces, salient features of nuclear forces, Shell model of the nucleus- success and limitation,

violation of parity in β -decay, r - decay and internal conversion, Mossbauer spectroscopy, Q-value of nuclear reactions, Nuclear fission and fusion, Nuclear reactors.

Solid State Physics:

Crystalline and amorphous structure of matter, Different crystal systems, Methods of determination of crystal structure, X-ray diffraction, Scanning and transmission electron microscope (SEM/TEM); Band theory of solids- conductors, insulators and semi conductors; Thermal properties of solids, specific heat, Debye theory; Magnetism: dia, para and ferro magnetism, superconductivity, Energy dispersive X-ray, Atomic force microscope, Dispersive X-ray analysis (EDX), Wavelength dispersive X-ray analysis (WDX).

Electronic:

Semiconductor devices: diodes, transistors, field effect devices, amplifiers and oscillator circuits, frequency dependence and applications; optoelectronic devices: solar cells, photo-detectors, LED's, Operational amplifiers and their applications.

Logic circuits: OR, AND, NAND, NOT, NOR, XOR gates; Digital techniques and applications: Registers, counters, comparators and similar circuits. Flip-flops: RS, JK, Master- Slave JK, T-type and D-type flip-flops. Half adders and full adders, Decoders, Multiplexers, Encoders, digital comparators, A/D and D/A converters.

Forensic Part:

History of fire arms and ammunitions, classifications- shotguns, rifles, revolvers, pistols, carbines, improvised fire arms, Bore and calibre, choke, automatic mechanism in small arms, rifling, primers, propellants, shotgun ball ammunition, head stamp markings, proof firing, various physical ballistic and functional tests of ammunitions, Bullets, Handling of evidence and precautions, factors affecting internal ballistics of projectiles, recoil, base-drag, Yaw, cross-wind force, overturning moments, stability-fix, stabilization and gyroscopic stability, stability factor, nutation and precessional motions of bullets, drift, Magnus effect, Greenhill formula, shape of projectile, ballistic coefficient, use of ballistic tables, projectile velocity determination, Doppler-radar method, Automated system of trajectory computation, limiting velocity, drop of falling bullets, use of lead as bullet material.

Terminal Ballistic-interaction and penetration of various projectiles in various tissues, Threshold velocity for penetration of skin, flesh and bones, threshold energy, casualty criteria, energy density, ricochet, wound ballistics, Temporary and permanent cavities, materials simulating human body, striking velocity, nature of target, tumbling of bullet, effect of instability of bullet, effect of intermediate target. Influence of range, identification of gunshot injuries, characteristics of firing bullets and cartridge cases, comparison microscope, photomicrography, linkage of fire shots with shotguns, Determination of range of firing, factors affecting range of firing, stringing of shots, effect of string on pattern, Cart-wheel pattern, balling, walker's test, IR photography.

Chemical tests for examination of shotgun holes, Gunshot residue, identification of shooter. Reconstruction of events in crimes, firing through glass, determination of directions of firing and sequence of shots. Pellet pattern in various targets.

Instrumentation Techniques: AAS, NAA, ICP-MS, Comparison microscopes, ASV and their applications. Arms act and arms rule 2016.

Physics Division

Number of Total Question: 100

M.M: 200

Time Duration: 02 hours

Mechanics:

Motion in a plane, cases of uniform velocity and uniform acceleration, Projectile motion, Equations of motion of projectiles, effect of air resistance on trajectory, uniform circular motion, law of conservation of linear momentum and its applications, Dynamics of uniform circular motion, centripetal force and its examples.

E.M.Waves:

Displacement current, E.M. waves and their characteristics, Transverse nature of E.M. wave, Electromagnetic spectrum, Maxwell's equations in free space and linear isotropic media, boundary conditions on the fields at interfaces, scalar and vector potentials, E.M. waves in free space, Poynting vector.

Optics:

Reflection of light, spherical mirrors, mirror formula, refraction of light, Total internal reflection and its applications, Optical fibers, Refraction at spherical surfaces, lenses, Magnification power of a lens, combination of thin lenses in contact.

Optical instruments: Human eye, image formation and accommodation, Microscopes and astronomical telescopes and their magnifying powers. Resolving power of microscopes and telescopes, Polarization, plane polarized light and its uses, circularly polarized light, Elliptically polarized light, Polaroids.

Wave & Acoustics:

Wave motion, Longitudinal and transverse waves, speed of wave motion, displacement relation for a progressive wave, principle of superposition of waves, Reflection of waves, Beats, Doppler effect.

Acoustics: Generation of ultrasonic waves and applications, Piezo electric effect and quartz crystal, energy density of acoustic waves, acoustic intensity, Reflection and transmission of acoustic waves, Acoustics of buildings, reverberation time, Sabine's formula.

Atomic & Molecular Physics:

Stern-Gerlach experiments, electron spin, fine structure of hydrogen atom, L-S coupling, j-j coupling, Spectroscopic notations and atomic states, Zeeman effect, Rotational, vibrational and electronic spectra of molecules, Raman effect and molecular structure, Laser Raman spectroscopy, Fluorescence and Phosphorescence, Theory and application of NMR and EPR.

UV and Visible spectrophotometry: types of sources, stability, wavelength selection, filter cells, sampling devices, Lambert and Beers Law, Calibration of instrument, Atomic absorption spectrophotometry.

Lasers: Spontaneous and stimulated emission. Einstein's Coefficients, optical pumping, population inversion; Solid state laser and Gas lasers.

Nuclear Physics:

Basic nuclear properties, semi empirical mass formula and applications, Mass parabolas: Ground state of a deuteron, magnetic moment and non central forces, Meson theory of nuclear forces, salient features of nuclear forces, Shell model of the nucleus- success and limitation, violation of parity in β -decay, r - decay and internal conversion, Mossbauer spectroscopy, Q-value of nuclear reactions, Nuclear fission and fusion, Nuclear reactors.

Solid State Physics:

Crystalline and amorphous structure of matter, Different crystal systems, Methods of determination of crystal structure, X-ray diffraction, Scanning and transmission electron microscope (SEM/TEM); Band theory of solids- conductors, insulators and semi conductors; Thermal properties

of solids, specific heat, Debye theory; Magnetism: dia, para and ferro magnetism, superconductivity, Energy dispersive X-ray, Atomic force microscope, Dispersive X-ray analysis (EDX), Wavelength dispersive X-ray analysis (WDX).

Electronic:

Semiconductor devices: diodes, transistors, field effect devices, amplifiers and oscillator circuits, frequency dependence and applications; optoelectronic devices: solar cells, photo-detectors, LED's, Operational amplifiers and their applications.

Logic circuits: OR, AND, NAND, NOT, NOR, XOR gates; Digital techniques and applications: Registers, counters, comparators and similar circuits. Flip-flops: RS, JK, Master- Slave JK, T-type and D-type flip-flops. Half adders and full adders, Decoders, Multiplexers, Encoders, digital comparators, A/D and D/A converters.

Compuaction Micro cafe:

Evidence collection from crime scene, Homicide, Hanging, Stagulation, write blockers, Imaging of storage media and capturing of volatile evidence in computer fraud and cyber crime, Audio and video, CCTV footage, Paint, Glass, Soil, Fibre, Wildlife crime, Metals identifications, packing and preservation of exhibits, packaging and transportation of digital and electronic evidence, Tool marks, Phenomena of absorption, emission, reflection. Thermal detectors, photographic detectors, photoelectric detectors, Basic concept of atomic spectra, energy levels, quantum numbers, designation of states, selection rules and atomic spectra.

Basic principles and theory of nuclear reactions and radiation, Neutron sources and Neutron Activation Analysis.

Molecular binding, molecular orbital, types of molecular energies, spectra of polyatomic molecules. FTIR, Biometrics and forensic science-face, Iris and retinal imaging, speech recognition, finger prints, Automated Finger Identification System (AFIS), Lip prints, ear prints, Gait pattern, blood stain patterns, Foot prints and footwear impressions and seal impressions, Restoration of erased marks, cast, engraved and punched marks, skid marks, principle and techniques of black and white and coloured Forensic photography, cameras and lenses, working of SLR and DSLR cameras, basics of digital imaging photography, digital photography, photo-morphing, types and videography camera and lenses, basics of video codec and file formats, recording of playback technique of analog video recording, Units of measurements and their conversion, measure of mean, median and mode, Measures of Dispersion, Range, Mean deviation and Standard deviation, Correlation and Regression Analysis, Coefficient of variation, moment, coefficient of Regression, Correlation measurements, Probability theory, Test of significance of attributes, sample test, t-test and comparison of data sets, paired test, chi-square test, F-test for equality of variance, Large sample test, Normal test, Pearson's square test, Derivation, Evaluation of evidence, Transfer of evidence, weight of evidence. Correspondence probabilities, analysis and synthesis of complex waves, anatomy of vocal formats, analysis of vocal sounds, frequency and overtones.

Electronics of audio recording, transmission and playback devices, noise and distortion, voice storage, and preservation, Forensic linguistics: phonetics, morphology, syntax, Semantics, Stylistics, Pragmatics, Script, Orthography and Graphology, difference between language and speech, Psycholinguistics, Neuro linguistics, Sociolinguistics, Scientific approaches; Reliability and admissibility of evidence in the court, Linguistic profile, language register. Discourse analysis: Connivance, acceptance, listening feedback and rejection in the context of Mens-Rea, Narrative, Dialectogy, linguistic variety as a geographical marker, Idiolect and speaker characterisation, Phonology, Morphology and word formation processes as individual linguistic abilities.

Various approaches in forensic speaker identification, Instrumental analysis of speech sample, interpretation of result, statistical interpretation of probability scale, Objective /Subjective methods, discriminating test, closed test, open test, likelihood ratio calculation,

concept of test and error identification. Techniques and best practices of examination of audio recording authentication.

Introduction to Video technology: Electronic photography, Scanning, synchronising the analog signal, digital signal processing, colour video, Digital Television standard, HD Video scopes, compression, Image acquisition and recording formats, optical media, Time code, Audio for video, Displays.

Scope recognising CCTV evidence and its nature, types of DVRs, DVR recording, best practices of CCTV evidence, evidence retrieval and storage at scene of crime and laboratory, challenges and precaution at the scene of crime, Legal issues and recommended equipments needed collection, recovery, enhancement, analysis and interpretation of video evidence. Facial image recognition, Vehicle registration plate enhancement, foreign object detection, Authentication of video evidence, video source identification techniques.

Introduction to nano-particles, nano-tubes, utilisation of nano-technology in analysis of physical evidences, application of nano technology in forensic evidence analysis.

Faults and failure of evidence of Arson and fire due to electrical and mechanical faults/failure, 3-phase electricity and earth faults.

Forensic engineering: Cement, Building materials, steel bars and metal Physics.

Chemistry, Explosives and Toxicology Division

Number of Total Question: 100

M.M: 200

Time Duration: 02 hours

General Chemistry:

Atomic structure and periodic properties of elements. Chemical bonding, IUPAC nomenclature of organic compounds and coordination complexes. Isomerism and stereochemistry including coordination compounds, conformational analysis, and chirality. Reactive intermediates and organic reaction mechanism, concept of aromaticity.

Qualitative and quantitative analysis, mole concept, normality, molarity, molality, mole fraction and their calculations.

VSEPR Theory, hybridization and shapes of molecules.

Transition and inner transition metals, coordination chemistry, concept of acids and bases, pH and its measurements.

Inorganic Chemistry:

Coordination Chemistry: Valence bond theory, molecular orbital theory, crystal field theory and ligand field theory of coordination compounds. Absorption spectra and magnetic properties of transition metal complexes.

Inorganic Polymers : Silicones and phosphazenes

Bioinorganic Chemistry: porphin ligands and metalloporphyrins, chlorophyll, myoglobin and haemoglobin, Bohr effect, role of Na^+ , K^+ , Mg^{2+} and Ca^{2+} in biological system, Na^+ - K^+ pump, toxic effects of some metals, ATP, metalloenzymes and biological catalyst.

Organometallic compounds:

Hapticity, nature of metal-carbon bond, organometallic compound of Li, Be, Mg, Al, Ge, Sn, Pb, Zn, Cd, Hg, π -metal ethylene, acetylenic and π -allylic complexes.

Organometallic compounds of transition metals with butadiene (C_4H_6), metallocenes [$\text{M}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2$] and Ferrocene [$\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$], uses of organometallic compounds.

Analysis of dyes and pigments. fertilizers, pesticides, cement and glasses.

Organic Chemistry:

Principle and applications of photochemistry, Jablonski diagram, quantum yield, photo sensitization reactions, Norrish-I & Norrish-II, Pericyclic and Free radical reactions. Common reagents used in organic synthesis.

Chemistry of natural products, such as steroids, alkaloids, terpenoids, peptides and carbohydrates.

Organic name reactions: Aldol reaction, Diel's-Alder reaction, Benzoin condensation, Pinacol-pinacolone rearrangement, Favoriski rearrangement, coupling reactions such as: Suzuki, Heck, Stille, Sonagashira, Sharpless epoxidation, Wolf rearrangement, Vilsmeier Haack reaction, Stobbe reaction.

Basic principles of green chemistry, green reagents, phase transfer and nano catalysts. Calculation of atom economy and E-factor. Color & Dyes, concept of therapeutic index and drug classification. Drug poison and medicines. Drug design based on chemical modification.

Physical Chemistry:

Nuclear chemistry types of radiation and radioactive decay. Detection and measurement of radio activity.

The group displacement law. Rate of radioactive decay. Half and average life of radioactive decay. Nuclear fusion and fission reactions and their applications.

Classification of colloids. Chemistry of lyophilic and lyophobic sols. Preparation and purification of sols. Optical properties of sols Tyndal effect. Kinetic properties, Brownian moment, electrical properties of sols. Electrophoresis, gold number. Cleaning action of soap and detergents. Applications of colloids. Types and mechanism of adsorption isotherm. Langmuir adsorption isotherm. Qualitative interpretation of BET theory. Application of adsorption.

Chemical Kinetics: Order and molecularity of reaction. Pseudo order, zero order, first and second order reactions. Half life period of a reaction. Determination of order of reaction. Effect of temperature on reaction rate. Activation energy. Catalysis. Theories of catalysis (intermediate compound and adsorption theories) . Mechanism and kinetics of catalysis. Characterization of enzyme catalyzed reactions.

Dilute solutions. Colligative properties and molecular weight determination. Real and ideal solutions. Solubility of partially miscible liquids. Theory of fractional distillation, steam-distillation and azeotropes. Physical properties and molecular structure: Polarization (Clausius-Mosotti equation). Orientation of dipoles, dipole moment and ionic character. Dipole moment and its measurement. Dipole moment and structure of molecules. Induced dipole moment. Optical activity and chemical constitution. Magnetic properties (Para, dia and ferromagnetic).

Concept of acids and bases (Arrhenious, Bronsted- Lowry and Lewis- concept). Relative strength of acids and bases, pH and its measurements. pH- scale. Buffer solutions and their pH calculations. Acid-Base indicators. Choice of indicators and their Theory (Ostwald and Quinonoid theories). Color change, hydrolysis-definition and its qualitative

aspect. Relation between hydrolysis constant and degree of hydrolysis. Determination of degree of hydrolysis. Application of solubility product principle in qualitative analysis.

Instrumentation/Analytical Chemistry:

Chromatographic techniques. General principles of paper chromatography, column chromatography, TLC, gas chromatography, HPTLC & HPLC for identification and quantification. Basis concept, principles and application of spectroscopic techniques viz. UV-Visible, IR, FTIR, Raman and NMR and Mass spectrometry.

X-ray diffraction, fluorescence analysis, TGA, DTA, GC-MS. Theory and principles of electrophoresis and titrimetric analysis.

Analysis of dyes and pigments, fertilizer, cement and glass.

Forensic Toxicology:

Forensic Toxicological examination and its significance: Branches of toxicology: Introduction and scope. Classification of poisons: based on their origin, mode of action, chemical nature, sign and symptoms of poisons. Laws related to poison. Poison Act 1919 and Drugs Act 1940 & 1955. Different methods of extraction for volatile poison of organic & Inorganic nature from biological matrix.

Identification and estimation of poison and drugs using colour test, thin layer chromatography, GC, GCMS, UV-visible, I.R. and LC-MS techniques.

Analysis of gaseous and volatile poisons, toxic metals, anions, organo-chloro, organo-phosphorous, carbamate, pyrethroids, aluminum and Zinc phosphide.

Methods of analysis of common acidic, neutral and alkaline drugs & poisons.

Various path of metabolism of common poison, their distribution and method of extraction, isolation and identification of metabolites.

Identifications of food poison, plant poison and animal poison.

Forensic Chemistry:

Analysis of alcohol: Country made, illicit liquor & medicinal preparations. Analysis of various denaturants of alcohol, detection & determination of ethanol, methanol, aldehyde, ester by colour test & instrumental techniques.

Analysis of metals and alloys, petroleum products and their adulteration. Method of identification of inflammable materials, Analysis of trap cases, mechanism of colour reaction, detection of phenolphthalein. Comparison of dyes in fibres and different inks by TLC & UV- Vis spectrophotometer.

Classification of explosive;- primary, secondary or high explosive, detonators, pyro-techniques, propellant IEDs and their firing mechanism.

Methods for extraction of explosive from post blast materials/debris, qualitative analysis of explosive and explosion residues by colour test, TLC/HPTLC, HPLC, IR, & LC-MS techniques.

Narcotic & psychotropic substance; including depressants, stimulants, hallucinants, barbiturates benzodiazepines, designer drugs & club drugs etc; their sampling and analysis using colour test, TLC & further confirmation by HPTLC, UV-Vis., GC-MS, HPLC, LC-MS and I.R.

Detection of common adulterants & determination of percentage purity in seized sample.

Narcotics and Psychotropics Division

Number of Total Question: 100

M.M: 200

Time Duration: 02 hours

General Chemistry:

Atomic structure and periodic properties of elements. Chemical bonding, IUPAC nomenclature of organic compounds and coordination complexes. Isomerism and stereochemistry including coordination compounds, conformational analysis, and chirality. Reactive intermediates and organic reaction mechanism, concept of aromaticity.

Qualitative and quantitative analysis, mole concept, normality, molarity, molality, mole fraction and their calculations. VSEPR Theory, hybridization and shapes of molecules.

Transition and inner transition metals, coordination chemistry, concept of acids and bases, pH and its measurements.

Inorganic Chemistry:

Coordination Chemistry: Valence bond theory, molecular orbital theory, crystal field theory and ligand field theory of coordination compounds. Absorption spectra and magnetic properties of transition metal complexes.

Inorganic Polymers : Silicones and phosphazenes

Bioinorganic Chemistry: porphin ligands and metalloporphyrins, chlorophyll, myoglobin and haemoglobin, Bohr effect, role of Na^+ , K^+ , Mg^{2+} and Ca^{2+} in biological system, Na^+ - K^+ pump, toxic effects of some metals, ATP, metalloenzymes and biological catalyst.

Organometallic compounds:

Hapticity, nature of metal-carbon bond, organometallic compound of Li, Be, Mg, Al, Ge, Sn, Pb, Zn, Cd, Hg, π -metal ethylene, acetylenic and π -allylic complexes.

Organometallic compounds of transition metals with butadiene (C_4H_6), metallocenes [$\text{M}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2$] and Ferrocene [$\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$], uses of organometallic compounds.

Analysis of dyes and pigments. fertilizers, pesticides, cement and glasses.

Organic Chemistry:

Principle and applications of photochemistry, Jablonski diagram, quantum yield, photo sensitization reactions, Norrish-I & Norrish-II, Pericyclic and Free radical reactions. Common reagents used in organic synthesis.

Chemistry of natural products, such as steroids, alkaloids, terpenoids, peptides and carbohydrates.

Organic name reactions: Aldol reaction, Diel's-Alder reaction, Benzoin condensation, Pinacol-pinacolone rearrangement, Favorski rearrangement, coupling reactions such as: Suzuki, Heck, Stille, Sonagashira, Sharpless epoxidation, Wolf rearrangement, Vilsmeier Haack reaction, Stobbe reaction.

Basic principles of green chemistry, green reagents, phase transfer and nano catalysts. Calculation of atom economy and E-factor. Color & Dyes, concept of therapeutic index and drug classification. Drug poison and medicines. Drug design based on chemical modification.

Physical Chemistry:

Nuclear chemistry types of radiation and radioactive decay. Detection and measurement of radio activity.

The group displacement law. Rate of radioactive decay. Half and average life of radioactive decay. Nuclear fusion and fission reactions and their applications.

Classification of colloids. Chemistry of lyophilic and lyophobic sols. Preparation and purification of sols. Optical properties of sols Tyndal effect. Kinetic properties, Brownian moment, electrical properties of sols. Electrophoresis, gold number. Cleaning action of soap and detergents. Applications of colloids. Types and mechanism of adsorption isotherm. Langmuir adsorption isotherm. Qualitative interpretation of BET theory. Application of adsorption.

Chemical Kinetics: Order and molecularity of reaction. Pseudo order, zero order, first and second order reactions. Half life period of a reaction. Determination of order of reaction. Effect of temperature on reaction rate. Activation energy. Catalysis. Theories of catalysis (intermediate compound and adsorption theories) . Mechanism and kinetics of catalysis. Characterization of enzyme catalyzed reactions.

Dilute solutions. Colligative properties and molecular weight determination. Real and ideal solutions. Solubility of partially miscible liquids. Theory of fractional distillation, steam-distillation and azeotropes. Physical properties and molecular structure: Polarization (Clausius-Mosotti equation). Orientation of dipoles, dipole moment and ionic character. Dipole moment and its measurement. Dipole moment and structure of molecules. Induced dipole moment. Optical activity and chemical constitution. Magnetic properties (Para, dia and ferromagnetic).

Concept of acids and bases (Arrhenius, Bronsted- Lowry and Lewis- concept). Relative strength of acids and bases, pH and its measurements. pH- scale. Buffer solutions and their pH calculations. Acid-Base indicators. Choice of indicators and their Theory (Ostwald and Quinonoid theories). Color change, hydrolysis-definition and its qualitative aspect. Relation between hydrolysis constant and degree of hydrolysis. Determination of degree of hydrolysis. Application of solubility product principle in qualitative analysis.

Instrumentation/Analytical chemistry:

Chromatographic techniques. General principles of paper chromatography, column chromatography, TLC, gas chromatography, HPTLC & HPLC for identification and quantification. Basis concept, principles and application of spectroscopic techniques viz. UV-Visible, IR, FTIR, Raman and NMR and Mass spectrometry.

X-ray diffraction, fluorescence analysis, TGA, DTA, GC-MS. Theory and principles of electrophoresis and titrimetric analysis.

Analysis of dyes and pigments, fertilizer, cement and glass.

Forensic Toxicology:

Forensic Toxicological examination and its significance: Branches of toxicology: Introduction and scope. Classification of poisons: based on their origin, mode of action, chemical nature, sign and symptoms of poisons. Laws related to poison. Poison Act 1919 and Drugs Act 1940 & 1955. Different methods of extraction for volatile poison of organic & Inorganic nature from biological matrix.

Identification and estimation of poison and drugs using colour test, thin layer chromatography, GC, GCMS, UV-visible, I.R. and LC-MS techniques.

Analysis of gaseous and volatile poisons, toxic metals, anions, organo-chloro, organo-phosphorous, carbamate, pyrethroids, aluminum and Zinc phosphide.

Methods of analysis of common acidic, neutral and alkaline drugs & poisons.

Various path of metabolism of common poison, their distribution and method of extraction, isolation and identification of metabolites.

Identifications of food poison, plant poison and animal poison.

Forensic Chemistry:

Analysis of alcohol: Country made, illicit liquor & medicinal preparations. Analysis of various denaturants of alcohol, detection & determination of ethanol, methanol, aldehyde, ester by colour test & instrumental techniques.

Analysis of metals and alloys, petroleum products and their adulteration. Method of identification of inflammable materials, Analysis of trap cases, mechanism of colour reaction, detection of phenolphthalein. Comparison of dyes in fibres and different inks by TLC & UV-Vis spectrophotometer.

Classification of explosive;- primary, secondary or high explosive, detonators, pyrotechniques, propellant IEDs and their firing mechanism.

Methods for extraction of explosive from post blast materials/debris, qualitative analysis of explosive and explosion residues by colour test, TLC/HPTLC, HPLC, IR, & LC-MS techniques.

Narcotic & psychotropic substance; including depressants, stimulants, hallucinants, barbiturates benzodiazepines, designer drugs & club drugs etc; their sampling and analysis using colour test, TLC & further confirmation by HPTLC, UV-Vis., GC-MS, HPLC, LC-MS and I.R.

Detection of common adulterants & determination of percentage purity in seized sample.

Biology and DNA division

Number of Total Question: 100

M.M: 200

Time Duration: 02 hours

ZOOLOGY:

Animal Diversity: Invertebrates and vertebrates.

Anatomy and morphology of body organs of vertebrates and human.

Histology: Epithelium and glands; classification of epithelia, types of glands; their classification and functions; connective tissues; fibers of connective tissues; functions of connective tissues; structure and functions of cartilage and bones.

Osteology: Skeletal terminology; gross morphology of bones; basic human skeletal system.

Animal physiology with special reference to humans: Digestive; respiratory; endocrine; nervous; excretory; Reproductive; cardio-vascular; neuromuscular systems; sense organs; immune system; homeostasis.

Mammalian Embryology: Human embryology; Ageing; death; Regeneration and senescence.

BOTANY:

Plant classification systems, External and Internal Morphology of plants. Palynology and oncology, Seeds, Fruits and their dispeal. Plant tissues various poisonous plants: Abrus precatorius, Aconitum napellus, Argemone mexicana, Calotropis procera, Cannabis sativus, Claviceps purpurea, Croton tiglium, Erythroxylon cacao, Atrpa belladonna, Jatropha curcus, Ricinus communis, Strychnos nux vomica, Thevetia nerifolia, Neruum odoratum, Manihot utilissima, Cinchona officinalis, Daturra stramonium, Nicotiana tobaccum, Psalliota (mushroom) etc.

Male and female reproductive organs of plants, Economic importance of food, sugar, fibers, timber, medicines, beverages and oil yielding plants. Elementary knowledge of toxic algae, diatoms. Fungi, mosses, ferns, lichens, cycads, conifers, viruses, bacteria and PPLO. Fossils, Plant responses to biotic and abiotic stresses (salt, drought, water logging etc) mineral nutrients and soilless culture.

CELL BIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY:

Membrane structure and functions: role of cell membrane and transport of materials into and out of cell; cell organelles; cytoskeleton; nucleus; chromosomes; protein synthesis and its control; karyotyping; cell cycle and cell division; sex chromosomes and sex chromatin; tumors and cancer; molecular structure of DNA and RNA; DNA replication; DNA damage and repair; structure and functions of different RNAs; cell death; Hormonal receptor, cell signaling, cell surface receptors and secondary messengers.

MICROBIOLOGY:

Ultrastructure of microbes (bacteria and viruses); culture of bacteria; microbial diseases; microbial genetics, methods of genetic transfers, transformation, transduction, conjugation, sex-duction; micro-organism encountered in biological warfare.

BIOCHEMISTRY:

Structure, functions and metabolism of different biomolecules; Enzymes, their classification, regulation and kinetics; Isozymes and co-enzymes; stabilizing interactions (Van der waals, hydrogen bonding and other interactions); Biophysical chemistry (PH, buffers, Reaction kinetics, thermodynamics, bioenergetics, ATP and high energy compounds, oxidative phosphorylation); blood coagulation; molecular mechanism of hormonal action.

GENETICS, BIOTECHNOLOGY AND BIOINFORMATICS:

Human genetic variations; Human chromosomes; Mendelian and non-Mendelian inheritance; inheritable human diseases; gene mapping and genetic risk assessment; gene pool; Hardy Weinberg equilibrium; deviation from Hardy Weinberg equilibrium; inbreeding; genotypes; phenotypes; mutation; multiple alleles; genetic variants; gene structure; gene expression; genetic markers and their significance; linkage and crossing over; sex determination; sex linked and sex influenced characters; human pedigree analysis; polygenic inheritance; gene identification and prediction tools; major data-basis in bioinformatics.

Gene cloning and genetic engineering; r-DNA technology; Genomics and proteomics; Epigenetics;

METHODS AND INSTRUMENTATION IN BIOLOGY:

Analysis of DNA, RNA and proteins by one and two dimensional gel electrophoresis; Iso-electric focusing gels; molecular cloning of DNA and RNA, DNA sequencing methods; Isolation, separation and analysis of carbohydrates, proteins and lipid molecules, ELISA, RIA, western blot methods; fluocytometry and immune fluorescence microscopy; cell molecule detection and in- situ localization by FISH and GISH techniques; molecular analysis using UV/visible fluorescence, mass spectroscopy and surface plasma resonance methods; electrophoresis; different microscopes including scanning and transmission microscopes.

ORIGIN OF LIFE AND EVOLUTION:

Origin of life; evidences of evolution; modern theory of evolution; evolution of man.

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL:

Structure and functions of ecosystem; concept of habitat and niche; population and community ecology; laws of limiting factors; pollution and eutrophication; green house effect, Global warming and climate change; ozone depletion; Biodiversity and its management; conservation of natural resources (Renewable and non-renewable resources); sustainable development.

FORENSIC BIOLOGY/SEROLOGY/DNA/PROFILING:

History and development of forensic science in India and abroad- scope of F.Se. need of forensic science, basic principles of forensic science, tools and techniques, criminal profiling. Organization set up of forensic science laboratory, FBI, CFSL, FSL, NICFS, NCRB (Maintenance of crime Records, Mobile forensic science, Branches of forensic Science, IEA sec. 45, Cr.P.C. 293.

Importance nature, location, collection and evaluation of biological material (blood, saliva, semen hair examination, application of blood groups and isozyme types in Forensic science.

History and development of finger prints science for personal identification, variations in finger prints, causes and genetic basics of taking inked prints, devices and material for searching prints, classification of finger prints, pattern types, Henry system of classification (primary to tertiary and key classification) Henry system searching of fingers prints, classification system, single prints, chance prints, latent prints, development of latent finger prints, systematic approach to latent print processing, preserving and lifting of finger prints, comparison of finger prints, basic of comparison, class and individual characteristics, various types of ridge characteristic, AFIS, Presentation of expert evidence on finger prints in court.

Wildlife forensics: Introduction, importance, wild (Protection) Act-1972, Protected and endangered species of animals and plants, identification of wild life materials (skin, fur, bones, nail, horn, teeth, plants, plant parts and product by conventional and modern methods, DNA techniques in wildlife investigation.

forensic entomology: Introduction, General entomology and arthropod biology, insects of forensic importance, collection of entomological evidence during death investigations, role of aquatic insects in forensic investigations, insect succession on carrion and its relationship to determine time since death, factors influencing insect succession on carrion its application to forensic entomology, entomotoxicology, insects as toxicological indicators, impact of drugs and toxins on insect development, molecular methods for forensic entomology.

Botanical evidences: introduction, types, location collection, evaluation and forensic significance; wood (type of wood, their identification and comparison) leaves (identification of various types of leaves and their anatomy, methods of comparison fibers classification and identification of fibers.

Pollens- Importance, structure, function, methods of identification and comparison.

Lectins: forensic significance.

forensic diatomology:- Diatoms Nature, location structure, extraction from various body tissues including bone marrow, preparation of slides, methods of identification and comparison, forensic significance.

Forensic microbiology: types and identification of microbial organism of forensic significance

forensic medicine: seasonal offences and causes signs of death and changes of death, time since death, medico legal aspect of death.

DNA profiling: History of DNA typing, human genetics, heredity, alleles, mutations and population genetics, molecular biology of DNA, variation and polymorphism in DNA.

DNA typing systems: RFLP analysis, PCR amplifications sequence polymorphism, analysis of SNP, Y-STR, Mitochondrial DNA, DNA Bar-coding for species identification, evaluation interpretations, allele frequency determination, match probability database, quality control, certification and accreditation.

Forensic significance of DNA profiling: applications in disputed cases, child swapping, missing person's identity, civil immigration, wildlife and mass disaster victim identification.

legal perspectives: legal standards for admissibility of DNA profiling, procedural and ethical concerns, status of development of DNA profiling in India and abroad and new future technologies DNA chips, SNPs and limitations of profiling.

DNA binding proteins, factors affecting DNA, transcription and translation, pseudo genes, non coding genes, overlapping genes, status and development of DNA profiling CODIS.

Isolation, quantification and quality assessment of DNA from hard and soft tissues, biological materials, Touch and trace DNA, collection preservation and packing of exhibits for DNA Avalos.

PHYSICAL ANTHROPOLOGY:

- Forensic Anthropology: Definition, scope and problems. comparative skeletal anatomy of human and non-human. Classification of bones. Identification of bones and determination of site, age determination from skeletal remains. General considerations, suture closure in skull and ossification in other bones. Sex determination from skeletal remains: skull, pelvis and other bones. Estimation of stature from skeletal remains with special reference to long bones.
- Personal identification techniques as somatoscopy, somatometry, osteometry and craniometry, their importance. Portrait Parle/Bertillon system. for Forensic Composite imagery: photofit/identi kit system for facial reconstruction. Craniofacial superimposition techniques as photographic superimposition. Video-superimposition. Roentgenographic superimposition. Importance of tissue depth to reconstruct various facial features/genetic and congenital anomalies: causes, types, identification and their forensic significance.
- **Forensic odontology and serology:** Development and scope, role in mass disaster and anthropology, structural variation in teeth (human and non-human), types of teeth and

their functions, determination of age from teeth, eruption sequence. Gustafson's method, dental anomalies, their significance in personal identification.

- Application of serology in solving cases of disputed paternity, theft, rape, murder, etc. ABO, MN and Rh blood-groups and their inheritance. Blood groups determinations techniques, species origin and polymorphism from blood stains and other body fluids.
- **Forensic Genetics:** Human hereditary traits, dominant, codominant, recessive, sex-limited, sex-linked. Genetical hazards and counseling. Identification of twins: monozygotic and dizygotic.

Serology and DNA division

Number of Total Question: 100

M.M: 200

Time Duration: 02 hours

ZOOLOGY:

Animal Diversity: Invertebrates and vertebrates.

Anatomy and morphology of body organs of vertebrates and human.

Histology: Epithelium and glands; classification of epithelia, types of glands; their classification and functions; connective tissues; fibers of connective tissues; functions of connective tissues; structure and functions of cartilage and bones.

Osteology: Skeletal terminology; gross morphology of bones; basic human skeletal system.

Animal physiology with special reference to humans: Digestive; respiratory; endocrine; nervous; excretory; Reproductive; cardio-vascular; neuromuscular systems; sense organs; immune system; homeostasis.

Mammalian Embryology: Human embryology; Ageing; death; Regeneration and senescence.

BOTANY:

Plant classification systems, External and Internal Morphology of plants. Palynology and oncology, Seeds, Fruits and their dispeal. Plant tissues various poisonous plants: Abrus precatorius, Aconitum napellus, Argemone mexicana, Calotropis procera, Cannabis sativus, Claviceps purpurea, Croton tiglium, Erythroxylon cacao, Atrpa belladonna, Jatropha curcus, Ricinus communis, Strychnos nux vomica, Thevetia nerifolia, Neruum odoratum, Manihot utilissima, Cinchona officinalis, Daturra stramonium, Nicotiana tobaccum, Psalliota (mushroom) etc.

Male and female reproductive organs of plants, Economic importance of food, sugar, fibers, timber, medicines, beverages and oil yielding plants. Elementary knowledge of toxic algae, diatoms. Fungi, mosses, ferns, lichens, cycads, conifers, viruses, bacteria and PPLO. Fossils, Plant responses to biotic and abiotic stresses (salt, drought, water logging etc) mineral nutrients and soilless culture.

CELL BIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY:

Membrane structure and functions: role of cell membrane and transport of materials into and out of cell; cell organelles; cytoskeleton; nucleus; chromosomes; protein synthesis and its control; karyotyping; cell cycle and cell division; sex chromosomes and sex chromatin; tumors and cancer; molecular structure of DNA and RNA; DNA replication; DNA damage and repair; structure and functions of different RNAs; cell death; Hormonal receptor, cell signaling, cell surface receptors and secondary messengers.

MICROBIOLOGY:

Ultrastructure of microbes (bacteria and viruses); culture of bacteria; microbial diseases; microbial genetics, methods of genetic transfers, transformation, transduction, conjugation, sex-duction; micro-organism encountered in biological warfare.

BIOCHEMISTRY:

Structure, functions and metabolism of different biomolecules; Enzymes, their classification, regulation and kinetics; Isozymes and co-enzymes; stabilizing interactions (Van der waals, hydrogen bonding and other interactions); Biophysical chemistry (PH, buffers, Reaction kinetics, thermodynamics, bioenergetics, ATP and high energy compounds, oxidative phosphorylation); blood coagulation; molecular mechanism of hormonal action.

GENETICS, BIOTECHNOLOGY AND BIOINFORMATICS:

Human genetic variations; Human chromosomes; Mendelian and non-Mendelian inheritance; inheritable human diseases; gene mapping and genetic risk assessment; gene pool; Hardy Weinberg equilibrium; deviation from Hardy Weinberg equilibrium; inbreeding; genotypes; phenotypes; mutation; multiple alleles; genetic variants; gene structure; gene expression; genetic markers and their significance; linkage and crossing over; sex determination; sex linked and sex influenced characters; human pedigree analysis; polygenic inheritance; gene identification and prediction tools; major data-basis in bioinformatics.

Gene cloning and genetic engineering; r-DNA technology; Genomics and proteomics; Epigenetics;

METHODS AND INSTRUMENTATION IN BIOLOGY:

Analysis of DNA, RNA and proteins by one and two dimensional gel electrophoresis; Iso-electric focusing gels; molecular cloning of DNA and RNA, DNA sequencing methods; Isolation, separation and analysis of carbohydrates, proteins and lipid molecules, ELISA, RIA, western blot methods; fluocytometry and immune fluorescence microscopy; cell molecule detection and in- situ localization by FISH and GISH techniques; molecular analysis using UV/visible fluorescence, mass spectroscopy and surface plasma resonance methods; electrophoresis; different microscopes including scanning and transmission microscopes.

ORIGIN OF LIFE AND EVOLUTION:

Origin of life; evidences of evolution; modern theory of evolution; evolution of man.

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY:

Structure and functions of ecosystem; concept of habitat and niche; population and community ecology; laws of limiting factors; pollution and eutrophication; green house effect, Global warming and climate change; ozone depletion; Biodiversity and its management; conservation of natural resources (Renewable and non-renewable resources); sustainable development.

FORENSIC BIOLOGY/SEROLOGY/DNA/PROFILING:

History and development of forensic science in India and abroad- scope of F.Se. need of forensic science, basic principles of forensic science, tools and techniques, criminal profiling. Organization set up of forensic science laboratory, FBI, CFSL, FSL, NICFS, NCRB (Maintenance of crime Records, Mobile forensic science, Branches of forensic Science, IEA sec. 45, Cr.P.C. 293.

Importance nature, location, collection and evaluation of biological material (blood, saliva, semen hair examination, application of blood groups and isozyme types in Forensic science.

History and development of finger prints science for personal identification, variations in finger prints, causes and genetic basics of taking inked prints, devices and material for searching prints, classification of finger prints, pattern types, Henry system of classification (primary to tertiary and key classification) Henry system searching of fingers prints, classification system, single prints, chance prints, latent prints, development of latent finger prints, systematic approach to latent print processing, preserving and lifting of finger prints, comparison of finger prints, basic of comparison, class and individual characteristics, various types of ridge characteristic, AFIS, Presentation of expert evidence on finger prints in court.

Wildlife forensics: Introduction, importance, wild (Protection) Act-1972, Protected and endangered species of animals and plants, identification of wild life materials (skin, fur, bones, nail, horn, teeth, plants, plant parts and product by conventional and modern methods, DNA techniques in wildlife investigation.

forensic entomology: Introduction, General entomology and arthropod biology, insects of forensic importance, collection of entomological evidence during death investigations, role of aquatic insects in forensic investigations, insect succession on carrion and its relationship to determine time since death, factors influencing insect succession on carrion its application to forensic entomology, entomotoxicology, insects as toxicological indicators, impact of drugs and toxins on insect development, molecular methods for forensic entomology.

Botanical evidences: introduction, types, location collection, evaluation and forensic significance; wood (type of wood, their identification and comparison) leaves (identification of various types of leaves and their anatomy, methods of comparison fibers classification and identification of fibers.

Pollens: Importance, structure, function, methods of identification and comparison.

Lectins: forensic significance.

forensic diatomology: Diatoms Nature, location structure, extraction from various body tissues including bone marrow, preparation of slides, methods of identification and comparison, forensic significance.

Forensic microbiology: types and identification of microbial organism of forensic significance

forensic medicine: seasonal offences and causes signs of death and changes of death, time since death, medico legal aspect of death.

DNA profiling: History of DNA typing, human genetics, heredity, alleles, mutations and population genetics, molecular biology of DNA, variation and polymorphism in DNA.

DNA typing systems: RFLP analysis, PCR amplifications sequence polymorphism, analysis of SNP, Y-STR, Mitochondrial DNA, DNA Bar-coding for species identification, evaluation interpretations, allele frequency determination, match probability database, quality control, certification and accreditation.

Forensic significance of DNA profiling- applications in disputed cases, child swapping, missing person's identity, civil immigration, wildlife and mass disaster victim identification.

legal perspectives: legal standards for admissibility of DNA profiling, procedural and ethical concerns, status of development of DNA profiling in India and abroad and new future technologies DNA chips, SNPs and limitations of profiling.

DNA binding proteins, factors affecting DNA, transcription and translation, pseudo genes, non coding genes, overlapping genes, status and development of DNA profiling CODIS.

Isolation, quantification and quality assessment of DNA from hard and soft tissues, biological materials, Touch and trace DNA, collection preservation and packing of exhibits for DNA Avalos.

PHYSICAL ANTHROPOLOGY:

- **Forensic Anthropology:** Definition, scope and problems. comparative skeletal anatomy of human and non-human. Classification of bones. Identification of bones and determination of site, age determination from skeletal remains. General considerations, suture closure in skull and ossification in other bones. Sex determination from skeletal remains: skull, pelvis and other bones. Estimation of stature from skeletal remains with special reference to long bones.

- Personal identification techniques as somatoscopy, somatometry, osteometry and craniometry, their importance. Portrait Parle/Bertillon system. for Forensic Composite imagery: photofit/identi kit system for facial reconstruction. Craniofacial superimposition techniques as photographic superimposition. Video-superimposition. Roentgenographic superimposition.

Importance of tissue depth to reconstruct various facial features/genetic and congenital anomalies: causes, types, identification and their forensic significance.

- **Forensic odontology and serology:** Development and scope, role in mass disaster and anthropology, structural variation in teeth (human and non-human), types of teeth and their functions, determination of age from teeth, eruption sequence. Gustafson's method, dental anomalies, their significance in personal identification.

- Application of serology in solving cases of disputed paternity, theft, rape, murder, etc. ABO, MN and Rh blood-groups and their inheritance. Blood groups determinations techniques, species origin and polymorphism from blood stains and other body fluids.
- **Forensic Genetics:** Human hereditary traits, dominant, codominant, recessive, sex-limited, sex-linked. Genetical hazards and counseling. Identification of twins: monozygotic and dizygotic.

Document Division

Number of Total Question: 100

M.M: 200

Time Duration: 02 hours

Different Standard books and their writers in handwriting identifications, General materials used in paper manufacturing, chemicals used in safety and security papers, different kinds of inks and general methods of ink preparation and analysis, different types of magnifiers i.e hand magnifiers, illuminated magnifiers, binocular magnifiers and stereoscopic microscope, Various kinds of rays i.e. visible, I R, U V, and principles of infra-red photostcopy.

Methods of Comparison of Questioned Writings and Signatures with the Standard writings and signatures. Procurement of Standard Writings and Signatures for Comparison, Kinds of Forgery, Symptoms of forgery, Erasure and kinds of erasures, method of detection of erasures, Disguise, Examination of Charred Document, definition of terms used in hand writing i.e. movement, skill, speed, natural variations, tremors, shading, alignments. Document photography, basic principles and techniques of black & white and colour photography, UV, IR, transmitted light photography, photomicrography and microphotography, type writing identification and its kinds, different types of defects in type writing and their identification. Identification of features of dot-matrix printers, Ink-jet printers, Laser-jet printers. Various printing processes i.e. letter press, lithography, and intaglio printing and their identifying features. Examination of photocopies and scanned documents, Various security features of Indian Bank Notes of higher denominations, E-passports, Credit/Debit/Smart cards, digitally manipulated documents, detection and decipherment of alteration, additions, overwriting, obliteration and erasures.

Pure Physics:

Motion in a plane, cases of uniform velocity, acceleration, projectile motion, Equation of motion of projectile, uniform circular motion, law of conservation of linear momentum and its application, dynamics of uniform circular motion centripetal force and its examples. Displacement current, EM waves and their characteristics, transverse nature of EM waves, electromagnetic spectrum, Reflection of light, spherical mirrors, mirror formula, refraction of light, total internal reflection and its applications, optical fibres, refraction at spherical surfaces, lenses, magnification power of lens, combination of the lenses in contact.

Human eye, image formation and accommodation, microscopes, astronomical telescopes and their magnifying power, resolving power of microscope and telescopes, polarization, plane polarized light and its uses, circular polarized light, Elliptically polarized light, Polaroids UV and Visible spectrophotometry, stability wavelength detection, filter, cells, sampling devices, calibration of instrument, atomic absorption spectrophotometry, lasers.

Crystalline and amorphous structure of matter, different crystal systems, methods of determination of crystal structure, X-ray diffraction, scanning and transmission electron microscope (SEM/TEM), superconductivity, energy dispersive-X-ray, dispersive X-ray analysis (EDX), wave length dispersive X-ray analysis (WDX), semiconductor devices- Diodes, transistors, field effect devices, amplifiers and oscillators, circuits, frequency dependence and applications, photo electronic devices, solar cells, photo detectors, LEDs.

Chemistry:

Atomic structure and periodic properties of elements, chemical bonding, IUPAC nomenclature of organic compounds and coordination complexes, principle of stereo chemistry, conformational analysis, isomerism, and chirality, reactive intermediates and organic reaction mechanism, concept of aromaticity, qualitative and quantitative analysis, mole concept, normality, molarity and molality, mole fraction and their calculations,

Transition metals including inner transition metals, coordination chemistry, concept of acid and bases and its application in pH measurements,

Chromatography, Gas Chromatography, HPTLC techniques, general principles of paper chromatography, column chromatography, TLC, X-ray, florescence analysis GC-MS, theory and principles of electrophoresis.

Analysis of dyes and pigments, valence bond theory, molecular orbital theory, absorption spectra and magnetic properties of transition metal complexes.

Principle and application of photochemistry, Javlonski diagram, quantum yield, photo-sensitization reactions, Norrish-I& Norrish- II

Basic principles of green chemistry, green reagents, phase transfer and nano crystals, calculation of atom energy and E-factor.

COMPUTER FORENSICS DIVISION

Number of Total Question: 100

M.M: 200

Time Duration: 02 hours

Introduction to Computer Hardware: Various Components of a computer, Motherboard, Processor, Memory, storage Devices and Networking components. Understanding Computer operating Systems (OS), Booting process of computers. Introduction to File Systems and types of File System.

Cyber Crime: Form of Cyber Crime, Internal and External Attacks, Crimes related to Social Media, ATM and Banking Frauds. Data Privacy issues, Packet sniffing, Spoofing, web security.

First responder: role and toolkit. Procedure for search and seizure of digital evidences. Search and Seizure of Volatile and Non-volatile Digital Evidence. Imaging and Hashing Digital Evidence. Analyzing and Recovery of Deleted, Hidden and Altered files.

Windows Systems Artifacts: File Systems, Registry, Event logs, Shortcut files, Executables. Alternate Data Streams (ads), Hidden files, Slack Space. Linux System and Artifacts: Linux file system: Ownership and Permissions, Hidden Files, User Accounts and Logs. Mac OS X systems and Artifacts: System Startup Logs and services, network configuration, hidden directories, system logs and User Artifacts.

Web Browsers: Cookies, Favorites or Bookmarks, Cache, Session Data and Plugins. Email: Types of Email and Protocols. Analysing the Header details and tracking the email, Spoofed Mails. Virtual Machine and Cloud Technology Forensics.

Computer Networking: Digital and Analog Signaling Methods, Network Types and Topologies, Overview of OSI Model and TCP/IP Protocol. Different types of IP Addresses and Classes, Subnet Masks, Subnetting and Supernetting. Network Hardware Devices and Client/Server Computing. Types of Networks-LAN, MAN and WAN. Routers and Routing Protocols.

Network threats and vulnerabilities, Types of network attacks- eavesdropping, spoofing, modification, Cross-site scripting, DNS Spoofing, Routing Table Poisoning, ARP Poisoning, Web jacking.

Attacks on Wireless Networks. Social Engineering Attacks and its types. Packet Sniffing, Types of authentication, Attacks on WEP, WPA and WPA-2 Encryption, fake hotspots.

IP security architecture, Security protocols, IPSec, Web Security- Firewalls, IDS, IDPS. Network Security Applications, Authentication Mechanism: Passwords, Cryptographic

authentication protocol, Kerberos, X.509 LDAP Directory. Digital Signatures. Web Security: Secure Socket Layer (SSL) Encryption, Transport Layer Security (TLS), Secure Electronic Transaction (SET) and Virtual Private Networks (VPN).

Monitoring of computer network and activities, Live Packet Capturing and Analysis. Searching and collection of evidences from the network. Network Intrusion Detection and Analysis. SQL Injection, Event Log analysis- tools and techniques. Investigating network attacks. Evidence collection from Routers other networking devices.

Cloud Technology and its various components: private, public and hybrid cloud. Cloud types; IaaS, PaaS, SaaS. Role of virtualization in enabling the cloud. Technologies and the processes required when deploying web services. Cloud Security Architecture, Secure Cloud based service, Identity and Access Management, Encryption and key Management. Cloud Forensic- collection and analysis of evidence.

Introduction to Mobile Technologies: Asynchronous Transfer Mode (ATM), Wireless Application Protocol (WAP). Cellular technologies- Advanced Mobile Phone System (AMPS), Imode, Time Division Multiple Access (TDMA), Code Division Multiple Access (CDMA) and Global System for Mobile Communication (GSM) and relative strengths. Subscriber Identity Module (SIM), International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Functions of Bluetooth and security issues. Various Generation of Mobile Phone Technologies. Understanding of the mobile phone operating systems- Android, OS, Windows. Understanding of SQLite Databases.

Phone Phreaking, Call tampering, Wireless Hack Walkthrough and Man-in-the-Middle-attacks. Overview of WEP attack. Attacks on WEP, WPA and WPA-2 Encryption, fake hotspots. Wireless Public key Infrastructure. Securing WLAN, WEP Decryption script.

Overview of Mobile Forensics, Seizure and Preservation of mobile phones and PDA. Types of Evidence present in mobile phones- Files present in SIM card, external memory dump and evidences in memory card. Mobile phone evidence extraction process, Data Acquisition Methods-Physical, File System, Logical and Manual Acquisition. Mobile Forensic Investigation Toolkit. Tracking of mobile phone location.

Introduction to Social Media, Security Issues in Social Media, Types of crimes of Social Media- Cyberbullying, Online Grooming, Cyberstalking. Social Media and its impact on Business, Politics, law and Revolutions, Emerging Trends in social media,

Sources for social media evidence, Types of Data Available on social Networking Sites, Different evidence collection methods from social networking sites, Intelligence gathering from social Media-Tools and technique for intelligence gathering-indirect method, direct method with login, direct method without login.

Introduction to cryptography, Symmetric and Asymmetric Cryptosystem Encryption Techniques- Substitutional Cipher and Transpositional Ciphers. Type of keys- public key

and private key. Advance Encryption. Techniques and Security Issues. Various type of attacks including Cipher Text-Only attack, Known-Plaintext Attack, Chosen-Plaintext Attack, Chosen-Cipher text Attack.

Symmetric Cryptosystem-AES, DES, RC4, Blowfish. Asymmetric Cryptosystems- RSA, DSA, Elliptic Curve cryptography. Introduction to Cryptanalysis-Differential and Linear Cryptanalysis. Hashing Algorithms-MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-3, One-way Hash, Hash Message Authentication Code.

परिशिष्ट-03

ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला (समूह-‘ख’) परीक्षा-2024 हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022 (तृतीय संशोधन-2023) में वर्णित प्राविधान के तहत अभ्यर्थियों को निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है:-

1. श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी हेतु न्यूनतम अर्हक अंक-

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन परिणाम हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1.	अनारक्षित श्रेणी एवं उपश्रेणी उत्तराखण्ड महिला/अनाथ	40%	45%
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं उपश्रेणी उत्तराखण्ड महिला/अनाथ	35%	40%
3.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी एवं उपश्रेणी उत्तराखण्ड महिला/अनाथ	35%	40%
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं उपश्रेणी उत्तराखण्ड महिला/अनाथ	30%	35%

2. उत्तराखण्ड स्व0 सं0 से0 आश्रित/ उ0 पूर्व सैनिक/दिव्यांगजन हेतु न्यूनतम अर्हक अंक-

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन परिणाम हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1.	उ0 स्व0 सं0 से0 आश्रित	30%	35%
2.	उ0 पूर्व सैनिक	30%	35%
3.	दिव्यांगजन	25%	30%

नोट :: उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवीणता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

परिशिष्ट-04

ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला (समूह-‘ख’) परीक्षा-2024 के अन्तर्गत लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु परीक्षा केन्द्रों/नगरों की सूची-

S. No.	City Name	City Code
1	Haridwar (हरिद्वार)	01
2	Dehradun (देहरादून)	02
3	Haldwani (हल्द्वानी)	03

नोट:- आयोग, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा अभ्यर्थियों की संख्या न्यून होने की दशा में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर हरिद्वार परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में आयोग द्वारा किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट-05

शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत :-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark दिव्यांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत परिशिष्ट-5(1) प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-5(1) की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-5(2) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-5(2) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-5(1) प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
7. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु

उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailer frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।

8. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू-तल के निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

-Sd-

सचिव

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs
(name of the candidate with disability), a person with
(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of
disability), S/o/D/o, a resident of
.....(Village/District/State) and to state that he/she has
physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to
his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a
Government Health care institution

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

**Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant
stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor
disability Orthopedic specialist/PMR)**

Letter of Undertaking for using own Scribe

I, a candidate with(name of the disability) appearing for the(name of the examination) bearing Roll No. at(name of the centre) in the District (name of the State). My qualification is

I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट-06

संख्या : 442 / 60 / 01 / डी0आर0(मा0शि0) / सेवा-1 / 2016-17

दिनांक : 02 नवम्बर, 2022

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात् 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग / प्रारंभिक / लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एव / या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट-06(I)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के संबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट-06(I)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र निम्नवत गठित बहु-सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है-

- i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... अध्यक्ष
- ii. Orthopaedic/PMR specialist
- iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)
- iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/ Special Educator
- v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)
- vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-06(I)** प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा / सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान-पत्र के साथ **परिशिष्ट-06 (II)** प्रमाण-पत्र एवं **परिशिष्ट-06(I)** प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक-पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट-01(I)** प्रमाण-पत्र के बिन्दु संख्या-2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।

7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू-तल पर निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

9. उक्त दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या : 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होंगे।

-Sd-
सचिव

परिशिष्ट-06 (I)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.....(name of the candidate), s/o /D/oa resident of (Vill/PO/PS/District/State), aged..... yrs. a person(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto _____ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट-06(II)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I _____, a candidate with _____ (nature of disability/condition) appearing for the _____ (name of the examination) bearing Roll No. _____ at _____ (name of the center) in the District _____, _____ (name of the State). My educational qualification is _____.

2. I do hereby state that _____ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is _____. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

परिशिष्ट-07

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

(क) – उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
..... तहसील नगर जिला

.. उत्तराखण्ड के राज्य की पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्रामतहसील नगर जिला
.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी

मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

(ख) – उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
.....तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड की
.....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा
कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ०प्र०) आदेश 1967, जैसा
कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में
मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारीतथा
अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसीलनगर
.....जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम

पदनाम

मुहर :

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/
सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

(ग) – उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या- 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम
.....तहसील नगर जिला
.....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित
और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के
अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित).....
..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित)
उपयुक्त अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)
के आश्रित है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम.....

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64 / XXXVI (3) / 2019 / 19(1) / 2019 दि: 07 मार्च, 2019 के अधीन)

(घ) – आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....

पुत्र / पत्नी / पुत्री.....ग्राम / मुहल्ला.....

पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी / स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष..... की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- (I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- (II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- (III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- (IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री / श्रीमती / कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं और भारत सरकार / उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्तर् पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

आवेदक का
नवीनतम पासपोर्ट
साइज का
प्रमाणित फोटो

नाम.....

पदनाम.....

(ड) – निःशक्तता प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या –

तारीख

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री
.....आयु..... लिंग..... पहचान चिन्ह.....
.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉल्लिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टांगें और दोनों बांहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी-बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती।वर्षों महीनों की अवधि के पश्चात पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी

अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक

अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- | | |
|--|----------|
| (i) एफ-अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ii) पी पी-धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iii) एल-उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iv) के सी-घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (v) बी-झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vi) एस-बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vii) एस टी-खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (viii) डब्लू-चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ix) एस ई-देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (x) एच-सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (xi) आर डब्लू-पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |

डा०.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट-08

ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला (समूह-‘ख’) परीक्षा-2024

Check List

अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख सम्बन्धी विवरण प्रपत्र।

आवेदित पद- ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक

अनुक्रमांक -

क्र० सं०	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02) (अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ)	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) (अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ)	
04	देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या-04) (अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ)	
05	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र / हाईस्कूल अंकतालिका,	
06	इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र / इण्टरमीडिएट अंकतालिका	
07	स्नातक-* आवेदित अनुभाग के पदों के सापेक्ष स्नातक की अंकतालिका एवं उपाधि।	
08	स्नातकोत्तर -* आवेदित अनुभाग के पदों के सापेक्ष परास्नातक की अंकतालिका एवं उपाधि।	
09	अधिमानी अर्हता- (क) प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष सेवा की हो। (ख) एन0सी0सी0 बी अथवा सी प्रमाण पत्र।	
10	राज्य सरकार या संघ सरकार की किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सेवारत एवं ऐसी प्रयोगशालाओं में की गई सेवा अवधि के लिए जो अधिकतम पांच वर्ष तक होगी, उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण लिया हो तो सम्बन्धित प्रमाण-पत्र।	
11	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0)** (यदि लागू हो)	
12	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे/दिव्यांगता प्रमाण पत्र) (यदि लागू हो)	
13	स्थायी/मूल निवास प्रमाण-पत्र। (यदि लागू हो)	
14	यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।	

15	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण-पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
16	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ। (विस्तृत आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र एवं देशना प्रपत्र में चस्पा करने के अतिरिक्त)	
17	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा-आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि मूल रूप से तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि या अंतिम तिथि 26 मार्च, 2024 तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या-310, दिनांक 26.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओ हेतु जारी हो।

ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2022-2023 की आय गणना के आधार पर निर्गत हुआ होना चाहिए अर्थात् 01.04.2023 से पूर्व तिथि का निर्गत ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

नोट- अभ्यर्थी उक्तानुसार समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....
अभ्यर्थी का नाम